बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

आदेश

संचिका संख्या : 09/विविध (शुल्क)–41/2021............./राज्य सरकार, शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक 13.06.1981, 803 दिनांक 18.12.1986, आदेश ज्ञापांक–720 दिनांक 01.10.1996, पत्रांक 587 दिनांक 28.09.2000 एवं आदेश ज्ञापांक–1028 दिनांक 09.07.2013 द्वारा राजकीय/राजकीयकृत (प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित सहित)/मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों तथा आदेश ज्ञापांक–831 दिनांक 03.08.2011 एवं तत्संबंधी शुद्धिपत्र द्वारा राजकीय/राजकीयकृत (प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित सहित)/मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों से शिक्षण एवं अन्य शुल्क लेने का प्रावधान किया गया है।

सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय/राजकीयकृत (प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित सहित)/मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक तथा राजकीय/राजकीयकृत (प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित सहित)/मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित पुनरीक्षित शुल्क लिये जायेंगे :–

क्र०	विवरण	वर्तमान में निर्धारित शुल्क (रूपये में)		पुनरीक्षित शुल्क (रूपये में)	
		माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
1.	प्रवेश शुल्क	20	15	50	50
2.	शिक्षण शुल्क	लागू नहीं	180 प्रति वर्ष (कला/वाणिज्य) 240 प्रति वर्ष (विज्ञान/व्या0)	लागू नहीं	180 प्रति वर्ष (कला/वाणिज्य) 240 प्रति वर्ष (विज्ञान/व्या0/कृषि)
3.	विकास शुल्क (भवन निर्माण, मरम्मती उपस्कर इत्यादि)	80 (दो किस्तों में)	160	80	200
4.	स्थानान्तरण शुल्क	10	20	10	20
5.	विज्ञान/व्या0/कृषि प्रयोगशाला	10 (दो किस्तों में)	200 प्रति वर्ष (विज्ञान/व्या0)	10	200 प्रति वर्ष (विज्ञान/व्या0/कृषि)
6.	अनुपस्थिति दण्ड	1	लागू नहीं	विलोपित	लागू नहीं
7.	शुल्क विलम्ब दण्ड	1 (माह के 30 तारीख तक शुल्क जमा नहीं रहने पर)	लागू नहीं	विलोपित	लागू नहीं
8.	पलायन शुल्क	1 (मध्याहन के बाद अनुपस्थित होने पर)	लागू नहीं	विलोपित	लागू नहीं
9.	पुनः प्रवेश (रिएडमिशन)	7 (दस दिन अनुपस्थित रहने/शुल्क नहीं जमा करने की स्थिति में)	लागू नहीं	विलोपित	विलोपित

10.	क्रीड़ा खेल–कूद से संबंधित सामग्रियों के क्रय, रख–रखाव एवं वार्षिक प्रतियोगिता हेतु	10 (दो किस्तों में)	20	20	30
11.	मनोरंजन (कॉमन रूम, मैगजीन, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम नाट्य, विचार गोष्ठी आदि)	10 (दो किस्तों में)	20	20	60
12.	निर्धन छात्र कोष	4 (दो किस्तों में)	10	10	10
13.	विद्युत शुल्क (बिजली के तार का क्रय एवं विद्युत उपकरणों का रख–रखाव)	10 (दो किस्तों में)	60	20	80
14.	पुस्तकालय	लागू नहीं	20	लागू नहीं	20
15.	विद्यालय रख–रखाव (ब्लैक बोर्ड एवं रंग–रोगन,प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय मैदान, भवन एवं शैचालय की साफ–सफाई)	लागू नहीं	150	50	150
16.	परिचय पत्र	लागू नहीं	20	20	20
17.	बालचर	10 (दो किस्तों में)	लागू नहीं	10	लागू नहीं
18.	विविध (सांस्कृतिक कार्यक्रम, इत्यादि)	लागू नहीं	50	लागू नहीं	विलोपित
19.	फार्म / प्रोस्पेक्टस	लागू नहीं	50	लागू नहीं	विलोपित
20.	परीक्षा शुल्क (वर्ष में तीन परिक्षाऐं आयोजित करने एवं प्रगति पत्रक हेतु)	75 (वार्षिक परीक्षा) 25 (वर्ग 9 एवं 10 की अन्य परीक्षा हेतु प्रति परीक्षा)	वर्ष में तीन परीक्षाऐं आयोजित करने एवं प्रगति पत्रक हेतु 100 (कला / वाणिज्य) 120 (विज्ञान / व्या0)	120 (तीन परीक्षा के लिए)	120 (कला / वाणिज्य) 120 (विज्ञान / व्या0 / कृषि)

2. विभाग द्वारा शुल्क के संबंध में पूर्व निर्गत अन्य निदेश / आदेश विलोपित माने जायेगे।

3. कक्षा–9 में नामांकित छात्र / छात्रा का उसी विद्यालय में नामांकन होने की स्थिति में कक्षा–11 में नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4. अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा।

5. (i) सभी शुल्क वर्ग 9वीं एवं 11वीं में नामांकन के समय तथा वर्ग 10वीं एवं 12वीं में सत्रारंभ के समय लिये जायेगे।

(ii) क्रमांक–16 पर अंकित परिचय पत्र शुल्क केवल वर्ग 9वीं एवं 11वीं में नामांकन के समय लिये जायेगे।

6. क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 की राशि विकास कोष में जमा होगी।

7. अन्य क्रमांकों (1, 2, 3 एवं 4 को छोड़कर) की राशि छात्र कोष में जमा होगी।

8. उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विविध (सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य, विचार गोष्ठी इत्यादि) के लिए निर्धारित शुल्क को मनोरंजन (कॉमन रूम, मैग्जींन अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क नाट्य, विचार गोष्ठी आदि) में समाहित किया गया है।

9. क्रमांक 19 पर अंकित फार्म/प्रोस्पेक्टस के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क को विलोपित किया जाता है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इस मद् में राशि विद्यालयों को उपलब्ध करायी जाती है।

10. जिस समय शुल्क की अदायगी देय है उसी समय शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अदायगी की मोहलत दे सकते है। बढ़ाई गई अवधि तक शुल्क की अदायगी नहीं होने पर विद्यालय प्राचार्य/प्रधानाध्यापक छात्र का नामांकन स्थगित/रदद् कर सकते हैं।

11. (i) विकास कोष एवं छात्र कोष के लिए छात्रों को निर्दिष्ट राशि की प्राप्ति रसीद दी जायेगी।

(ii) प्राप्ति रसीद अंकेक्षण के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।

(iii) छात्र कोष में संचित राशि के प्रबंध के लिए विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक तथा दो वरीय शिक्षकों की एक समिति होगी, जिसकी प्रस्वीकृति से व्यय किया जायेगा। प्रत्येक वितीय वर्ष में छात्र कोष के व्यय एवं व्यय से संबंधित लेखा का संधारण किया जायेगा एवं अंकेक्षण के लिए मांगे जाने पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(iv) निर्धन छात्र कोष के तहत् प्राप्त राशि का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करंने वाले छात्रों के लिए तत्संबंधी अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त कर किया जायेगा।

(v) विकास कोष/छात्र कोष की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी तथा इस कोष का संचालन माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत विकास कोष एवं छात्र कोष के लिए निर्गत आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

12. उक्त आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी होगें।

13. उपरोक्त पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

21/12/21

विशेष सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

E:/ Anukamiye Vidyalaya (Office Oder) R. 3

ज्ञापांक : 09/विविध (शुल्क)–41/2021–720 पटना, दिनांक 21-12-2021

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि अपने जिला अंतर्गत अवस्थित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस आशय से संबंधित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Gaur 21/12/21

विशेष सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

E:/ Anukarniye Vidyalaya (Office Oder) R. 4